

○ दिनांक 02.12.2014 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय वरीय पदाधिकारियों की आयोजित सप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:—

उपस्थिति:—पंजी में संधारित।

1. सर्वप्रथम योजनावार कार्यों की समीक्षा की गयी। दिनांक 30.11.2014 को राज्य योजना + केन्द्र योजना का कुल व्यय/निकासी 893.5626 करोड़ रुपये हैं।
2. दियारा विकास योजना का स्वीकृत्यादेश एवं कार्यान्वयन अनुदेश निर्गत कर दिया गया है। आवंटन निर्गत करने की प्रक्रिया में है। बजट पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आवंटनादेश निर्गत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
3. जिला पदाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 08.12.2014 को डीजल अनुदान वितरण की समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में जिला पदाधिकारी को पत्र भेजने का निर्देश उप कृषि निदेशक, सांख्यिकी को दिया गया।
4. राज्य योजना कृषि यांत्रिकीकरण मद का आवंटनादेश 184 करोड़ रुपये का निर्गत कर दिया गया है। उप निदेशक (फसल)—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि विपत्र तैयार कर कोषागार से निकासी कर बामेती को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के समक्ष विभाग के कार्यों से संबंधित पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने से संबंधित स्लाइड को अद्यतन कर दें। अगली बैठक में इस पर चर्चा एवं समीक्षा की जायेगी।
6. निदेशक उद्यान को निर्देश दिया गया कि ADB Project से संबंधित संचिका उपस्थापित किया जाय।
7. निदेशक बामेती को निर्देश दिया गया कि आत्मा योजना के तहत जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि के विरुद्ध की गई निकासी की जानकारी परियोजना निदेशक के माध्यम से प्राप्त कर लें।
8. बीज अनुदान एवं प्रक्षेत्र मद में निकासी काफी कम है। निर्देश दिया गया कि प्रक्षेत्र की योजनाओं में अविलम्ब कोषागार से निकासी की कार्रवाई की जाय। उप कृषि निदेशक बीज ने बताया कि बकाया बीज अनुदान 21.60 करोड़ रुपये का स्वीकृत्यादेश निर्गत कर दिया गया है जिसमें 19.60 करोड़ रुपये का विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किया गया है, मैक्रोमोड योजना अंतर्गत 15.6429 करोड़ रुपये का स्वीकृत्यादेश निर्गत कर दिया गया है।
9. उप कृषि निदेशक बीज को निर्देश दिया गया कि खरीफ 2014 के बीज अनुदान की समीक्षा कर अनुदान भुगतान करना सुनिश्चित करें।
10. उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया कि राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रक्षेत्र सुदृढीकरण मद का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।



11. जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बायोगैस मद में 2 घन मीटर से संबंधित आदेश निर्गत कर दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इसका समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर प्रचार कराया जाय। आवेदन पत्र ऑनलाईन लेने की व्यवस्था की जाय। जो किसान किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक को आवेदन पत्र देते हैं, उसको ऑनलाईन लोड कराने का निर्देश दिया गया।
12. निदेशक, बामेती को निर्देश दिया गया कि दिसम्बर, 2014 में 2nd किस्त विमुक्त करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई की जाय।
13. राज्य नोडल पदाधिकारी कृषि यांत्रिकीकरण को निर्देश दिया गया कि कृषि यांत्रिकीकरण सॉफ्टवेयर में जिला नोडल पदाधिकारी से प्राप्त फीड बैक के आधार पर आवश्यक संशोधन करने हेतु NIC के पदाधिकारियों के साथ दिनांक 03.12.2014 को बैठक आयोजित कराया जाय।
14. उप निदेशक प्रशासन को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों की स्थापना जिला कृषि पदाधिकारी के साथ करने हेतु संचिका सहकारिता विभाग/पशुपालन विभाग के तर्ज पर उपस्थापित किया जाय।
15. जिला नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिला भ्रमण के उपरान्त विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाईन अपलोड कर दें।
16. उप कृषि निदेशक बीज को जैव उर्वरक वितरण की समीक्षा कर अवगत कराने का निर्देश दिया गया।
17. उर्वरक प्रतिष्ठानों के द्वारा अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री रोकने हेतु गठित जाँच दल के बारे में जानकारी दी गयी।
18. संयुक्त सचिव द्वारा दिनांक 2.12.2014 तक कृषि विभाग में लम्बित वादों की जानकारी दी गयी। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक 02.12.2014 तक कृषि विभाग में लंबित वादों की स्थिति						
क्र०	विभाग/निदेशालय	MJC	CWJC	LPA	SLP	Total
1	कृषि निदेशालय संभाग	9	51	4	1	65
2	सचिवालय संभाग	5	16	1	0	22
	कुल योग	14	67	5	1	87

संबंधित संभाग के प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सी०डब्लू०जे०सी०/एम०जे०सी० के मामलों में एक माह के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दायर करने की कार्रवाई पूर्ण की जाय। केस नं० एवं ओथ नं० के साथ प्रगति प्रतिवेदन संयुक्त सचिव, कृषि को उपलब्ध कराया जाय।

W

19. एजेन्डा नोट एवं रिभ्यू नोट को बैठक के एक दिन पहले भेजने का निदेश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया।
20. निदेशक, उद्यान को निदेश दिया गया कि जिला उद्यान पदाधिकारियों की मासिक समीक्षात्मक टिप्पणी तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।
21. उप सचिव को निदेश दिया गया कि कृषि सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ देने हेतु अगले सप्ताह बैठक की तिथि निर्धारित करने का निदेश दिया गया।

संघन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

Pripattar

31/12/14
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- पी०पी०एम०-71/2014 5474 पटना, दिनांक :- 04/12/14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/कृषि निदेशक के आप्त सचिव/उद्यान निदेशक/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/अपर कृषि निदेशक-सह-प्रभारी किसान सलाहकार योजना/संयुक्त कृषि निदेशक(प्रसार)-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, रा०खा०सु०मि० कोषांग एवं रा०कृ०वि०यो०/संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना, प्रभारी टाल विकास कार्यक्रम/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक माप-तौल/उप सचिव, कृषि विभाग/उप निदेशक, प्रशासन/कृषि विशेषज्ञ, पी०पी०एम०, कोषांग/अवर सचिव, प्रभारी, प्रशाखा-4 एवं प्रशाखा-1/उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र)-सह-प्रभारी पदाधिकारी, रा०खा०सु०मि०/उप कृषि निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, रा०कृ०वि०यो०/उप कृषि निदेशक, मुख्यालय/संयुक्त कृषि निदेशक, उपयोगी अनुसंधान-सह-प्रभारी, प्रसंस्करण प्रमुख/उप कृषि निदेशक, गुण नियंत्रण-सह-प्रभारी विपणन एवं उत्पादन प्रमुख/उप कृषि निदेशक, तेलहन प्रभारी दियारा विकास कार्यक्रम/उप कृषि निदेशक, सांख्यिकी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, उर्वरक कोषांग/उप कृषि निदेशक(प्रसार)-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत एवं अनुश्रवण कोषांग/नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण योजना/उप निदेशक, उद्यान (योजना)/उप कृषि निदेशक, आलू/उप निदेशक उद्यान (नर्सरी)/उप निदेशक, उद्यान (सब्जी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Pripattar
निदेशक, पी०पी०एम० 4/12/14

ज्ञापांक :- पी०पी०एम०-71/2014 5474 पटना, दिनांक :- 04/12/14

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

Pripattar
निदेशक, पी०पी०एम० 4/12/14